रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 511] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 16, 1989/श्रावण 25, 1911
No. 511] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 16, 1989/SRAVANA 25, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(नौवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1989

का.आ. 645 (अ).—भारत सरकार के जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की तारीख 22 अप्रैल, 1988 की अधिसूचना संख्या का.आ. 411 (अ) के साथ पठित तारीख 3 नवम्बर, 1988 की अधिसूचना संख्या का.आ. 970 (अ) के अधीन गठित अधिकरण को कलकत्ता उच्च न्यायालय के वाद संख्या 226/87 में किए गए 30 सितम्बर, 1988 के आदेश द्वारा कृत्यशील रहने से अवरुद्ध किया गया था,

उक्त आदेश को कलकत्ता उच्च न्यायालय के तारीख 17 मार्च, 1989 के आदेश द्वारा उपान्त्य कर दिया गया है,

और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तारीख 9 जून, 1989 के अपने आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार को अधिकरण का कार्यकाल तीन मास बढ़ाने का निदेश दिया है,

और चूंकि तारीख 3 नवम्बर, 1987 की उक्त अधिसूचना के निबंधनों के अनुसार उक्त अधिकरण का कार्यकाल 2 नवम्बर, 1988 को समाप्त हो गया है,

अतः अब केन्द्रीय सरकार वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 150 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 3 नवम्बर, 1987 की अधिसूचना द्वारा उसे निर्देशित विवाद का न्याय निर्णयन करने के लिए एक अधिकरण का गठन करती है जिसका मुख्यालय कलकत्ता में होगा और यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से 3 मास की अवधि के लिए भारत सरकार के भूतपूर्व संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार श्री एस.के. राय को नियुक्त करती है।

[फाइल सं. सी-18018/(1) 88-एम टी]
एस.एन. ककड़, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Shipping Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 1989

S.O. 645 (E).—Whereas the Tribunal constituted under the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport No. S. O. 970 (E) dated the 3rd November, 1987 read with notification No. S.O. 411(E), dated the 22nd April, 1988, was restrained from functioning by an order of the High Court at Calcutta dated the 30th September, 1988 in Suit No. 226|87;

And whereas the said order has been set aside by the order of the High Court at Calcutta dated the 17th March, 1989;

And whereas the High Court at Calcutta has, by its order dated the 9th June, 1989, directed the Central Government to extend the tenure of the Tribunal by three months;

And whereas in terms of the said notification dated the 3rd November, 1987, the tenure of the said Tribunal has expired on the 2nd November, 1988;

Now therefore, in exercise of he powers conferred by sub-section (1) of section 150 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby constitutes a Tribunal with headquarters at Calcutta for adjudication of the dispute referred to it by the said notification dated the 3rd November, 1987 and appoints Shri S. K. Rai, formerly Joint Secretary and Lega Adviser to the Government of India, for a period of three months from the date of issue of this notification.

[File No. C. 18018|1|88-MT]
S. N. KAKAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989